डोमेस्टिक कार्गो लॉजिस्टिक्स के संवर्धन हेतु बिजनेस एसोसिएट्स का मेल

1.0 <u>परिचय और उद्देश्य:</u>

1.1 कॉनकॉर में 54 (पूर्णतया डोमेस्टिक 17, मिश्रित 37) डोमेस्टिक टर्मिनल का नेटवर्क है जोकि पूरे देश में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त कॉनकॉर सीआरटीएस और प्राइवेट साइडिंग से भी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ग्राहक की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप डोर टू डोर सेवाएं भी कॉनकॉर प्रदान कर रहा है। कंटेनर रेल टर्मिनल (सीआरटी) पर रेक लगाने और ग्राहकों को प्राइवेट साइडिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों से **कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर)** भारत में उत्पादन केंद्रों से उपयोग केंद्रों तक कार्गो को फ्रेट फॉरवर्डर्स के माध्यम से सुरक्षित और शीघ्रता से परिवहन करने का अवसर प्रदान कर रहा है। बिजनेस एसोसिएट के रूप में राष्ट्रीय / क्षेत्रीय नेटवर्क के साथ विख्यात फ्रेट फॉरवर्डर्स/ट्रांसपोर्ट कंपनियों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक समेकित सेवाएं प्रदान कर वृद्वि के अवसर देता है। इसके लिए कॉनकॉर की बिजनेस एसोसिएट (बीए) पॉलिसी है।
व्यावसायिक अवसरों/बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने तथा ट्रैफिक की नई स्ट्रीम को विकसित करने के लिए कॉनकॉर ने अपने वर्तमान बिजनेस एसोसिएट पॉलिसी को संशोधित कर लिया है।
टैरिफ, फ्री-टाइम, परिवहन प्रभार आदि के संबंध में वर्तमान परिपत्र/पॉलिसी समय-समय पर जारी किए गए शुल्क आदि सभी बीए पर लागू होंगे।

<u>2.0</u> **<u>परिभाषाएं:</u>** निम्नलिखित भावों का अर्थ जब तक संदर्भ अपेक्षित नहीं है,इस रूप में परिभाषित होगा,

2.1 बिजनेस एसोसिएट: फ्रेट फॉरवर्ड/ट्रांसपोर्टर/कंपनी जिसे कॉनकॉर ने ग्राहकों को लाजिस्टिक्स की पूर्ण सुविधा प्रदान करने के लिए पैन इंडिया के आधार रेल/सड़क सेवाएं को एकीकृत कर पैन इंडिया के आधार पर **'बिजनेस एसोसिएट' के** रूप में नियुक्त किया है।

2.2 **नियम और शर्तें:** नियम एवं शर्तो का अर्थ, नीति में निर्धारित नियम और शर्तो से है।

2.3 **सड़क मार्ग की दर :** सड़क मार्गकी दरों से मतलब संबंधित टर्मिनल टर्मिनल द्वारा अधिसूचित सड़क-ब्रिजिंग टैरिफ से है जो कि कंटेनर परिवहन के लिए सभी बिजनेस एसोसिएट्स पर लागू होगी ।

2.4 पीसीटीओ: प्राईवेट कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर

2.5 सीआरटी: कंटेनर रेल टर्मिनल (भारतीय रेल द्वारा अधिसूचित)।

2.6 पीएफटी: प्राईवेट फ्रेट टर्मिनल

2.7 प्राईवेट **साइडिंग:** रेल साइडिंग, जो कॉनकॉर की नही है जिसके लिए सह-उपयोगकर्ता से अनुमति ली गई है

2.8 टीएससी : इसका मतलब है कि संबंधित टर्मिनल द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार
कंटेनर भंडारण / देय सेवा प्रभार

2.9 हैंडलिंग शुल्क: इसका अर्थ है, कंटेनरों के संचालन के लिए कॉनकॉर/ टर्मिनल द्वारा **समय-समय पर** अधिसूचित देय शुल्क

2.10 पब्लिक टैरिफ (चैसिज से चैसिज) : कॉनकॉर द्वारा समय –समय पर जारी सार्वजनिक अधिसूचना में दर्शाए गए प्रति कंटेनर चैसिज से चैसिज दर अलग लोडेबिल्टी के लिए अलग होगा। इन दरों में कार्गो के स्टैफिंग/ डीस्टैफिंग , सर्विस टैक्स, विधायी कर, तथा अन्य कर और शुल्क जो कॉनकॉर द्वारा लागु और समय -समय पर संसोधित है, अलग से लिए जाने है । नए गंतव्यों के लिए आवश्यकता पड़ने और सेवाएं शुरू होने पर, अनुरोध पर प्रदान किया जाएगा

2.11 एफईयू: माल को ले जाने के लिए चालीस फीट (40 ') / पैतालीस फीट (45') के कंटेनर

2.12 टीईयू: माल ले जाने के लिए 20 / 22 फीट के लिए कंटेनर समतुल्य इकाइयां

2.13 कंटेनर: टीयूयू या एफईयू, जिसमें सामान्य, उच्च घनत्व , विशेष कंटेनर शामिल हैं

2.14 अग्रेषण नोट: अग्रेषण नोट का अर्थ है 'स्टैंडर्ड फॉर्म' का प्रस्ताव
सामानों का परिवहन जिसमें माल भेजने वाले और पाने वाले का विवरण होगा,
कंटेनरों की बुकिंग के लिए और अन्य विवरण जैसे टीआईएन आदि।

2.15 सेवा में कमी: कोई ऐसा कार्य या गलती जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहक दावा करता है, असंतुष्ठ रहता और जिससे कॉनकॉर की प्रतिष्ठा घटती है।

2.16 कानूनी दायित्व: कॉनकॉर और बिजनेस एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तावित परिवहन / लोजिस्टिक सेवाओं से संबंधित कानूनों / नियमों (श्रम कानूनों सहित)

2.17 दंड प्रभार: डिलीवरी /स्टैफिंग /डी स्टैफिंग में देरी , रैक रोके रखने, गलत-घोषणा, खतरनाक वस्तुओं के संग्रह पर कॉनकॉर / रेलवे द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दर के अनुसार जुर्माना जमा करना।

2.18 अन्य प्रभार: अन्य शुल्क में टीएससी / हैंडलिंग शुल्क / वारफेज सेवा कर आदि

2.1 9 ग्राहक: कोई भी व्यक्ति जो कॉनकॉर सेवाओं,का सीधे या बिजनेस एसोसिएट्स के माध्यम से परिवहन / भंडारण सेवाओं का उपयोग करने के इच्छुक है I

2.20 पूर्व-जमा खाता: माल और अन्य शुल्कों के भुगतान के लिए कॉनकॉर के साथ बिजनेस एसोसिएट्स द्वारा रखे गए खाते

2.21 दावा: ग्राहक या तीसरे पक्ष को कॉनकॉर या बिजनेस एसोसिएट्स द्वारा सेवा में कमी के कारण नुकसान / माल की हानि के परिणामस्वरूप जैसा कि मामला हो, पर ग्राहक द्वारा लगाया गया दावा।

2.22 गंतव्य: टर्मिनल / सीआरटी / निजी रेल सिडिंग जिसके लिए कॉनकॉर सेवाऐ दे रहा है

2.23 टर्मिनल: कॉनकोर टर्मिनल जिनका प्रयोग लोडिंग / अनलोडिंग / स्टफ़िंग / डिस्टफ़िंग कार्गो / कंटेनरों की बुकिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है

2.24 नि: शुल्क समय: प्रत्येक टर्मिनल के लिए समय-समय पर जारी किए गए निर्देश जिसमें कंटेनरों को फ़ैक्टरी में स्टफ़िंग / डिस्टफ़िंग, बुकिंग / डिलीवरी के लिए दिया गया समय

2.25 वार्षिक समय अवधि: 1 अप्रैल से 31 सैंट मार्च (वित्तीय वर्ष) के लिए।

2.26 अनन्य सर्किट / मार्ग : जैसा कि धारा 10.0 के तहत परिभाषित किया गया है

2.27 एमजीटी: क्लॉज 8.1 के तहत परिभाषित न्यूनतम गारंटीकृत आवागमन

3.0 बिजनेस एसोसिएट्स के वर्गीकरण: कॉनकॉर के बिजनेस एसोसिएट्स होंगे नीचे चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

1 प्लैटिनम श्रेणी

2 गोल्ड श्रेणी

3 रजत श्रेणी

4 कांस्य श्रेणी

उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत कॉनकॉर के साथ पंजीकृत बिजनेस एसोसिएट्स किसी भी कॉनकॉर टर्मिनल या अन्य पार्टियों के टर्मिनलों में जिनके साथ कॉनकॉर का समझौता है, भारतीय रेलवे के कंटेनर रेल टर्मिनल (सीआरटी) , पीएफ़टीएस और प्राइवेट सिडिंग जो कॉनकॉर के नही है, के साथ ट्रैफिक ऑफर करने के लिए स्वतंत्र है।

4 0 न्यूनतम पात्रता मानदंड:

'बिजनेस एसोसिएट्स' को उनके अनुभव, कारोबार, राष्ट्रीय नेटवर्क के आधार और बीए पॉलिसी के अनुसार चुना जाएगा,

4.1 अनुभव: जिन पार्टियों को फ्रेट फॉरवर्डिंग या परिवहन का अनुभव है वें **' बिजनेस एसोसिएट के रूप में पंजीकरण के पात्र है। इसके लिए** पार्टी को फ्रेट फॉरवर्डिंग या परिवहन का अनुभव के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

4.2 न्यूनतम औसत टर्नओवर: - फ्रेट फारवर्डर्स या ट्रांसपोर्टर जिनका फ्रेट फॉरवर्डिंग और या परिवहन में **2 करोड़ और इससे ऊपर** का सालाना कारोबार है, इसके पात्र हैं । इसके लिए पार्टी को पिछले 2 वित्तीय वर्षों की सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट / बैलेंस शीट और लाभ- हानि खाते को प्रस्तुत करना चाहिए

और **पिछले पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान उन्होंने कॉनकॉर के साथ निम्नलिखित न्यूनतम टीईयू प्रति वर्ष बुक किया हो :-**

श्रेणी

ब्रोंज	**सिल्वर**	**गोल्ड**	**प्लैटिनम**
≥ 1001 टीईयू से 3000 टीईयू प्रति वर्ष	≥ 3001 टीईयू से 6000 टीईयू प्रति वर्ष	≥ 6001 टीईयू से 12000 टीईयू प्रति वर्ष	≥ 12001 टीईयू से प्रति वर्ष

इस प्रयोजन के लिए, पार्टी को पिछले वित्तीय वर्ष का बुकिंग विवरणों को व्यवस्थित रूप टर्मिनल प्रभारी से प्रमाणित करना होगा।

नोट :- (ए) नया ऐप्लिकेशन केवल **ब्रोंज** श्रेणी में पंजीकृत होगा। मौजूदा विजनेस एसोसिएट उपरोक्त मानदंड के अनुसार **सिल्वर / गोल्ड /**प्लैटिनम श्रेणी के लिए आवेदन कर सकते हैं

(बी) प्लैटिनम और गोल्ड श्रेणी के लिए: प्लेटिनम और गोल्ड के तहत पंजीकृत बीए श्रेणी को कॉनकोर के साथ विशेष रूप से व्यवसाय करना है, जिसके लिए उसे अनुलग्नक-ए के अनुसार एक बांड निष्पादित करना है । फर्म / कंपनी या किसी सहयोगी / संबंधित कंपनी का निदेशक जिसके साथ उसके हित जुड़ें हो, को किसी प्रतियोगी / पीसीटीओ के साथ व्यापार करने की अनुमति इस श्रेणी में नहीं दी जाएगी ।

4.3 **बयाना धन (ईएमडी):** फ्रेट फॉरवर्डस / ट्रांसपोर्टर जो को स्वयं को **'बिजनेस एसोसिएट्स' के रूप में** पंजीकृत कराना चाहते है, उन्हें **"कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" के** पक्ष में और नई दिल्ली में देय बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के रूप में दो (02) लाखों की बयाना राशि जमा करनी है।

असफल पार्टियों की बयाना राशि बिना किसी ब्याज तुरंत वापिस कर वापस कर दी जाएगी सफल पार्टियों की बयाना राशि सिक्योरिटी के रूप में समायोजित किया जाएगा हालांकि उन सफल पार्टियों की धन राशि जब्त कर ली जाएगी जो **'बिजनेस एसोसिएट्स'** के रूप में काम करने से मना कर देते है और समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहतें है।

4.4 अतिरिक्त जानकारी: कृपया पैन की प्रति और पंजीकरण / बिक्री कर / वैट / सेवा कर / जीएसटी पंजीकरण, उत्पाद शुल्क की किसी भी एक या सभी की प्रति संलग्न करें।

4.5 पंजीकरण का प्रमाण : - वे आवेदक जो किसी फर्म , कंपनी, एसोसिएशन / या सोसायटी के घटक हैं, वे कंपनी, एसोसिएशन / या सोसायटी के स्वयं / गठन, साझेदारी कार्य और / या पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी, को-ऑपरेटिव सोसाइटी के साक्ष्य प्रतियां पहले उल्लेख किए गए दस्तावेजों के साथ स्वयं की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना करें । अगर आवेदक की स्वयं की फर्म है तो अपने फर्म का नाम, इसके वर्तमान पते के और पूर्ण नाम के साथ हस्ताक्षर किया जाएं।

5.0 आवेदन का मूल्यांकन :

बिजनेस एसोसिएट आवेदन की जांच की जाएगी कि क्या वे हैं सभी मामलों को पूरा करते है जैसे:

- सभी अपेक्षित दस्तावेजों को ठीक से हस्ताक्षर, मुद्रांकित और संलग्न किया गया है।
- स्पथ पत्र प्रस्तुत किया गया है (जहां भी आवश्यक हो)
- 2 लाख रुपए की बयाना राशि जमा की गई है।
- पार्टी आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करती है

बिजनेस एसोसिएट के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन सभी अपेक्षित दस्तावेज सहित किसी भी कार्य दिवस पर **कार्यपालक निदेशक / निदेशक आंतरिक विभाग, कॉनकॉर भवन, सी -3, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110 076 को प्रस्तुत किया जा सकता है। बयाना राशि के बगैर आवेदन मान्य** नहीं होगा।

कॉनकॉर के समग्र व्यावसायिक हितों के मद्देनजर बिजनेस एसोसिएट के किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने / पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

6.0 सुरक्षा जमा: प्लेटिनम, गोल्ड,सिल्वर और ब्रोंज श्रेणी हेतु सुरक्षा जमा निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा: -

श्रेणी	रूपए
प्लेटिनम	50 लाख-एक करोड़
गोल्ड	15 लाख 25 लाख
सिल्वर	10 लाख -15 लाख
ब्रोंज	5 लाख -10 लाख

सुरक्षा जमा बैंक गारंटी के रूप में जमा किया जा सकता है । (अनुलग्नक- C के अनुसार सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का नमूना) / चेक / डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर्स, जो की समझौता की समाप्ति के तीन महीने तक वैध होगा । समझौता टर्मिनल विशेष के लिए नही होगा। यदि अनुबंध आगे बढ़ाया गया है तो आगे की अवधि, सुरक्षा जमा की वैधता तदनुसार समयावधि को बढाया जाएगा। बिजनेस एसोसिएट को इस अवधि के लिए कोई ब्याज नही दिया जाएगा।

सुरक्षा जमा, उस कटौती के अधीन होगी कि समझौता अवधि समाप्त होने या , समझौते के निर्वहन और संबंधित टर्मिनल द्वारा बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत चार कैलेंडर महीनों में बिजनेस एसोसिएट को दी जाएगी।

7.0 बिजनेस एसोसिएट्स से प्रतिबद्धता: पैरा 8 में उल्लिखित न्यूनतम मात्रा की पेशकश करने के लिए बिजनेस एसोसिएट्स' बाध्य होगा । अगर बिजनेस एसोसिएट कुल वार्षिक लक्ष्य हासिल करने में विफल रहते है तो उन्हें पंजीकृत वर्ग की स्थिति को छोड़ना पड़ सकता है और संबंधित श्रेणी में ही पात्र माना जाएगा।

अपने ग्राहकों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वयं परिवहन सेवा हेतु रोड ब्रिजिंग के लिए कॉनकार का परिवहन अधिभार समय –समय पर टर्मिनल पर लागू टैरिफ के अनुसार भुगतान करने के लिए '**बिजनेस एसोसिएट्स'** को बाध्य किया जाएगा
जहां भी आवश्यक हो **बिजनेस एसोसिएट'** कॉनकॉर के ग्राहकों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराएगा।

अनुलग्नक ए के अनुसार हस्ताक्षरित शपथ पत्र बिजनेस एसोसिएट द्वारा दिया जाना आवश्यक है

8.0 न्यूनतम गारंटीकृत ट्रैफिक और अन्य दायित्व:

8.1 'बिजनेस एसोसिएट्स' के अंतर्गत **पंजीकृत विभिन्न श्रेणियों हेतु निम्नलिखित न्यूनतम गारंटीकृत आवागमन का ऑफर देना होगा :-**

क्रम सं	**'बिजनेस एसोसिएट्स' का वर्गीकरण**	**न्यूनतम गारंटीकृत ट्रैफिक (बुकिंग स्थल से)**
1	प्लेटिनम	≥ 12001 टीईयू / फईयू प्रतिवर्ष
2	गोल्ड	≥ 6001 से 12001 टीईयू / फईयू प्रतिवर्ष
3	सिल्वर	≥ 3001 से 6000 टीईयू / फईयू प्रतिवर्ष
4	ब्रोंज	≥ 1001 से 3000 टीईयू / फईयू प्रतिवर्ष

8.2 लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन निम्नानुसार होंगे: -

प्लेटिनम - 1000 / रूपए प्रति टीईयू / फईयू
गोल्ड- 800 / रूपए प्रति टीईयू / फईयू
सिल्वर - 500 / रूपए प्रति टीईयू / फईयू
ब्रोंज - 400 / रूपए प्रति टीईयू / फईयू

नोट:

(ए) विशेष टैरिफ जिसमें बीए डिस्काउंट शामिल है , पर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा

(बी) उपरोक्त उल्लिखित प्रोत्साहनों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तिमाही आधार पर वितरित किया जाएगा।

(सी) संबंधित श्रेणी के अनुसार बीए द्वारा प्रति क्वार्टर आनुपातिक एमजीटी (न्यूनतम गारंटीकृत ट्रैफिक का ऑफर किया जाना चाहिए।

(डी) यदि बीए पंजीकृत श्रेणी में न्यूनतम लोडिंग प्राप्त करने में असमर्थ है तो जैसा ऊपर उल्लेखित है, तो उन्हें उस विशेष तिमाही के लिए तहत छूट / प्रोत्साहन मिलेगी जिसके लिए वह पात्र है। साल के अंत में कुल वॉल्यूम पर समायोजन किसा जाएगा। तदनुसार उस वर्ष की तिमाही और प्रोत्साहन की अंतर राशि का भुगतान / वसूली होगी।

(ई) ब्रौंज श्रेणी के तहत पंजीकृत बीए यदि न्यूनतम गारंटीकृत ट्रैफिक हासिल करने में विफल रहता है तो उसे गैर-बीए के लिए लागू छूट योजना के अनुसार प्रोत्साहन दिया जाएगा।**3** जिन सेवाओं की पेशकश कॉनकॉर करता है बीए उन सेवाओं के समी स्ट्रीम में कंटेनर बुक करने के हकदार होंगे। फिर भी यदि किसी भी टर्मिनल से 80/90 टीईयू की ट्रेन लोड की जाती है तो नई सेवाएं शुरू की जा सकती हैं।

। **8.4** टर्मिनल के कैचमेंट क्षेत्र में जिस सर्विस के लिए वह **'बिजनेस एसोसिएट्स'** लगा है उस सर्विसेज की मार्केटिंग अपनी ही कीमत पर उचित प्रचार करेगा।

8.5 'बिजनेस एसोसिएट्स' कॉनकॉर के ग्राहकों / कार्गो को हटाने के लिए अन्य प्रतियोगी / पीसीटीओ के साथ बिजनेस एसोसिएट्स कार्य नही करेगा ।

9.0 बिजनेस एसोसिएट्स को लाभ:

निम्नलिखित लाभ **'बिजनेस एसोसिएट्स' को प्राप्त होंगे :**

9.1 'बिजनेस एसोसिएट्स' को कॉनकॉर के टर्मिनलो पर परिवहन के लिए स्वयं के लिए कोई अलग बीजी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

9.2 ग्राहक को कॉनकॉर के माध्यम से स्वयं के विवेक पर कंटेनर बुक करने की अनुमति दी जा सकती है।

9.3 'बिजनेस एसोसिएट्स' की श्रेणी के अंतर्गत बुकिंग में तथा ट्रेन क्षमता की 70% तक क्लियरेंस में प्राथमिकता बशर्ते विभिन्न **'बिजनेस एसोसिएट्स'** प्रावधान के अंदर हो।

9.4 रोड ब्रिजिंग हेतु एक ओर या दोनों ओर अपने स्वयं के वाहनों का उपयोग करने के लिए हकदार ।ग्राहकों के हित में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सड़क की दर बिजनेस एसोसिएट्स द्वारा सार्वजनिक की जाएंगी ।

9.5 रोड ब्रिजिंग के लिए कॉनकॉर के कंटेनरों / कार्गो के परिवहन हेतु हकदार

9.6 कॉनकॉर द्वारा उपलब्ध कराई जानी वाली विभिन्न लोजिस्टिक सेवाओं हेतु जारी सीमित निवदाओं में भाग लेने में बिजनेस एसोसिएट्स हकदार होगा । कॉनकोर ऐसे मामले में, हालांकि बिजनेस एसोसिएट्स को कॉनकॉर के निविदा संबंधित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा

9.7 क्रेडिट सुविधा: कॉनकॉर की बकाया राशि के भुगतान के लिए बिजनेस एसोसिएट को क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

200 से अधिक TEUs की पेशकश करने वाले बिजनेस एसोसिएट **:** जिन एसोसिएट्स ने प्रति माह 200 TEUs की पेशकश की उन्हें बढ़ी हुई क्रेडिट सुविधा जैसा कि नीचे दिखाया गया है, दी जाती है:-

प्रति माह बुक की गई औसत संख्या	प्रति माह क्रेडिट लिमिट
201 से 500 टीईयू	50 लाख से 1 करोड़ रुपये
501 से 1000 टीईयू	75 लाख से 1.5 करोड़ रूपए
1001 से 1500 टीईयू	1 करोड़ रु। 2 करोड़ रूपए
1501 से 2000 टीईयू	2 करोड़ से 3 करोड़ रूपए
>2001 टीईयू	3 करोड़ से 5 करोड रूपए

नोट: 5 करोड रूपए से अधिक की क्रेडिट गत वर्ष के बिजनेस वॉल्यूम देखते हुए एक विशेष मामले के अंतर्गत मानकर दी जाएगी।

बिजनेस एसोसिएट क्रेडिट सुविधा लेने हेतु (अनुलग्नक –डी में दिए गए बैंक गारंटी नुमाना) के अनुरूप समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा । बिजनेस एसोसिएट के रूप में दी गई बीजी को समायोजित नहीं किया जाएगा।

बढ़ाई गई क्रेडिट सुविधा .... से वैध है और वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी

जो बिजनेस एसोसिएट बढी हुई क्रेडिट सुविधा लेना चाहते है ,वे अपेक्षित राशि की बैंक गारंटी निर्धारित समय पर **निगमित कार्यालय** में प्रस्तुत करें।

9.8 श्रेणी के अनुसार सुविधा के **प्रस्ताव:** विभिन्न वर्ग बिजनेस एसोसिएट को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएंगी।

श्रेणी			
ब्रांज	**सिल्वर**	**गोल्ड**	**प्लेटिनम**
बुकिंग में प्राथमिकता तथा एक ट्रेन से कम लोडिंग के मामले में ट्रेन क्षमता के 70% तक क्लियेरंसमें प्राथमिकता बशर्ते यह बिजनेस एसोसिएट की श्रेणी में हो।	ब्रोंज कटेगरी की प्राथमिकता से अधिक	सिल्वर कटेगरी की प्राथमिकता से अधिक	गोल्ड कटेगरी की प्राथमिकता से अधिक
कंटेनर आबंटन में प्राथमिकता	ब्रोंज कटेगरी की प्राथमिकता से अधिक	कटेगरी की प्राथमिकता से अधिक	गोल्ड कटेगरी की प्राथमिकता से अधिक
शून्य	शून्य	सर्किट में विशिष्ठता	सर्किट में विशिष्ठता
शून्य	शून्य	रेक आबंटन में प्राथमिकता	रेक आबंटन में प्राथमिकता
प्रति माह क्रेडिट सीमा (खंड 9.7 के अनुसार)	प्रति माह क्रेडिट सीमा (खंड 9.7 के अनुसार)	प्रति माह क्रेडिट सीमा (खंड 9.7 के अनुसार)	प्रति माह क्रेडिट सीमा (खंड 9.7 के अनुसार)

विशिष्ठ सर्किट/मार्ग हेतु अधिकारी

10.1 कॉनकॉर और बिजनेस एसोसिएट द्वारा पारस्परिक सहमति से प्रांरभिक स्थल - गंतव्य तक आना जाना ट्रिप (प्लेटिनम और गोल्ड श्रेणी में) शामिल हैं। उपरोक्त श्रेणी के बिजनेस एसोसिएट को कॉनकॉर परिभाषित सर्किट में यातायात बुकिंग की अनुमति होगी । कोई अन्य बिजनेस एसोसिएट/ फ्रेट फ्रारवर्डर को इस सर्किट पर अनुमति नही होगी। हालांकि, ग्राहक (वास्तविक मालिक) कार्गो सीधे सर्किट में कॉनकॉर के माध्यम से बुक कर सकता है।

10.2 सर्किट या तो नए ट्रैफिक के लिए या मौजूदा ट्रैफिक के लिए होगा जिसमें बीए प्रतिवर्ष मिनिमम गारंटिड ट्रैफिक (एमजीटी) की सहमति देगा और 5% प्रतिवर्ष की वृद्वि होगी। उदाहरणत: पहले वर्ष 1000 टीईयू, दूसरे वर्ष 1050 टीईयू तथा तीसरे वर्ष 1105 टीईयू होगें तथा अगले वर्ष ऐसे ही होगें।

,

(ए) ट्रैफिक की मौजूदा सट्रीम के लिए सर्किट / मार्ग की विशिष्टता: -

निम्नलिखित विवरण में पात्र बीए को कॉनकॉर को आवेदन करना होगा:

(1) कार्गो, तथा कार्गो मालिक का विवरण नाम, पता, संपर्क नंबर, आदि सहित

(ii) कार्गो भेजने के लिए गंतव्य कौन सा है

(iii) क्या कार्गो एक ही पार्टी या एक नाम पर जा रहा है अलग-अलग पार्टी अर्थात् भेजने और पाने वाला एक ही हैं या या अलग-अलग संस्थाएं हैं

(iv) पिछले एक वर्ष के लिए मौजूदा ट्रैफ़िक

(v) आवागमन संभावित और प्रोजेक्शन

(vi) एमजीटी अर्थात न्यूनतम गारंटीकृत ट्रैफिक की पेशकश की गई।

(vii) अवधि / अवधि जिसके लिए विशिष्टता आवश्यक है।

(viii) पूरे मौजूदा ट्रैफ़िक के लिए बिजनेस एसोसिएट के माध्यम से कार्गो बुक करने की सहमति और भविष्य के विकास के अनुमान । कार्गो मालिक के सहमति पत्र के बिना अनन्य सर्किट / रूट के अधिकार पर विचार नहीं किया जाएगा।

ट्रैफिक के मौजूदा स्ट्रीम के लिए, पारस्परिक रूप से सहमत एमजीटी पर विशिष्टता की प्रस्तावित अवधि हेतु कार्गो मालिक के साथ बीए (प्रेषक / प्रेषित) को कॉनकॉर के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता करने आवश्यकता होगी।

(बी) ट्रैफिक की नई सट्रीम के लिए सर्किट / मार्ग की विशिष्टता: -

निम्नलिखित विवरण में पात्र बीए को कॉनकॉर को आवेदन करना होगा:

(1) कार्गो, तथा कार्गो मालिक का विवरण नाम, पता, संपर्क नंबर, आदि सहित

(ii) कार्गो भेजने के लिए गंतव्य कौन सा है

(iii) क्या कार्गो एक ही पार्टी या एक नाम पर जा रहा है अलग-अलग पार्टी अर्थात् भेजने और पाने वाला एक ही हैं या या अलग-अलग संस्थाएं हैं

(iv) आवागमन संभावित और प्रोजेक्शन

(vi) एमजीटी अर्थात न्यूनतम गारंटीकृत ट्रैफिक की पेशकश

(vi) अवधि / अवधि जिसके लिए विशिष्टता आवश्यक है।

ट्रैफिक की नई स्ट्रीम जिसमें कॉनकॉर कार्गो नही ले रही है , कार्गो मालिक की सहमति के बिना या जिसमें द्विपक्षीय / त्रिपक्षीय पारस्परिक रूप से विशिष्टता की प्रस्तावित अवधि के लिए समझौते पर सहमति हेतु हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है।

(सी) यदि बीए लगातार तीन महीनों के लिए एमजीटी प्रदान करने में विफल रहता है, तो इस मामले में कॉनकॉर बीए के अनन्य सर्किट / मार्ग के अधिकार को रद्द करने का अधिकार

सुरक्षित रखता है। एमजीटी में कमी के मामले मे , बीए को अवधि के लिए एमजीटी एक्स लागू टैरिफ में कमी का 25% कॉनकॉर को भुगतान करना होगा

(डी) यदि एक ही सर्किट के लिए से अधिक बीए आवेदन करते है तो अधिकतम एमजीटी देने वाले को विशेष सर्किट / मार्ग के लिए अधिकार दिया जाएगा।

(ई) कॉनकॉर टर्मिनल से कॉनकॉर टर्मिनल के बीच परिवहन के लिए कोई विशिष्टता नहीं दी जाएगी ।हालांकि सीआरटी / प्राइवेट साइडिंग / पीएफटी से कॉनकॉर टर्मिनल एवं इसके विपरित परिवहन में अनुमति दी जाएगी ।

(एफ) कॉनकॉर किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

11.0 व्यवसाय की शर्तें :

11.1 अनुबंध की अवधि: ' बिजनेस एसोसिएट' को समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 03 साल तक नियुक्त किया जाएगा और पारस्परिक सहमति और कॉनकॉर के विवेक पर अगले 3 साल तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता ।

11.2 टैरिफ और सर्विसेज: कॉनकॉर माल भाड़ा दर / सार्वजनिक टैरिफ अन्य शुल्क निर्धारित करने और समय-समय पर इसे संशोधित करने के लिए स्वतंत्र है। इसी तरह परिचालन / व्यवसायिक आवश्यकता के अनुरूप सर्विस दी जाने वाले गंतव्यों में भी वृद्धि या कमी किए जाना कॉनकॉर के विवेकाधिकार पर निभर्र करता है। मौजूदा सेवाओं / स्ट्रीम को छोड़ देना या एक नई स्ट्रीम की शुरूआत या भाड़ा और अन्य शुल्कों का संशोधन से उत्पन्न किसी भी व्यवधान के संबंध में कॉनकॉर द्वारा कोई दावा या क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

11.3 सैंट्रलाइज्ड प्री डिपाजिट अकाउंट (सीपीडीए): ग्राहक से सभी बकाया रकम **का संग्रहण 'बिजनेस एसोसिएट्स' करेगा । 'बिजनेस एसोसिएट्स** द्वारा उपयोग की गई सभी तरह की सेवाओं का भुगतान कॉनकॉर को **'बिजनेस एसोसिएट्स सैंट्रलाइज्ड प्री डिपाजिट अकाउंट (सीपीडीए) '** से किया जाएगा।

11.4 स्टैफ़िंग / डिस्टैफिंग के लिए नि:शुल्क समय: स्टैफ़िंग / डिस्टैफिंग हेतु निर्धारित समय से अधिक समय लगने पर संबंधित टर्मिनल पर समय –समय पर लागू टर्मिनल सर्विस चार्ज (टीएससी) देय होगा ।

11.5 वाणिज्यिक गतिविधियां: कॉनकॉर द्वारा कंटेनरों की बुकिंग और परिवहन भारतीय रेल अधिनियम 1 9 8 9 के प्रावधानों द्वारा शासित है। इसके अलावा ओवरलोडिंग , रैक रोके रखना, गलत व्याख्या , खतरे की रोकथाम, , भंडारण और परिवहन की रोकथाम आदि से संबंधित कॉनकॉर की अपनी वाणिज्यिक और परिचालन नीतियां है जो **'बिजनेस एसोसिएट' पर** लागू

होंगी और यह उम्मीद की जाती है कि इन सबके बारे में जानकारी रखेगा। **'व्यवसाय** पर शुल्क लगने के बाद माफी हेतु अज्ञानता का कारण वैध नही माना जाएगा।

ऊपर की किसी भी नीतियों के तहत नेस्ले, आईओसीएल, आदि **समूहों के साथ 'बिजनेस एसोसिएट्स'** कॉर्पोरेट यातायात को माल के परिवहन के लिए शामिल करने का अधिकार नहीं होगा जिनके साथ कॉनकॉर के प्रत्यक्ष अनुबंध संबंध हैं।

11.6 दावें : बिजनेस **'व्यवसाय** द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में किसी भी कमी के लिए ग्राहक द्वारा किए गए **दावे** को सुलझाने के लिए **'बिजनेस एसोसिएट्स'** का दायित्व होगा। हालांकि, कॉनकॉर द्वारा प्रदान सेवाओं के लिए कॉनकॉर जिम्मेदार होगा। लेकिन दावे का निपटान **'बिजनेस' एसोसिएट** द्वारा किया जाएगा। वर्तमान कॉनकॉर नियमों के अनुसार वाहक / टर्मिनल ऑपरेटर के रूप में कॉनकॉर कुछ सीमा तक दावों की प्रतिपूर्ति **'बिजनेस एसोसिएट'** को कर सकता है।

11.7 क्षतिपूर्ति: कॉनकॉर के ग्राहक **'बिजनेस एसोसिएट** द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से उत्पन्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान की प्रतिपूर्ति **'बिजनेस एसोसिएट** द्वारा की जाएगी। सेवाओं से उत्पन्न किसी भी मामले का बचाव करने के लिए कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति 'बिजनेस एसोसिएट्स' द्वारा की जाएगी। कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति 'व्यावसायिक सहयोगी' द्वारा न किए जाने पर प्रतिपूर्ति की राशि सुरक्षा राशि से काट ली जाएगी।

11.8 कानूनी बाध्यता : परिवहन / रसद सेवाओं से संबंधित कानूनों का पालन करने के लिए **'व्यावसायिक सहयोगी'** बाध्य होगा। और किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए जाने पर इसकी क्षतिपूर्ति कॉनकॉर को करेगा।

11.9 गुडविल का प्रयोग : कॉनकॉर की गुडविल और लोगो का प्रयोग अनाधिकृत या किसी भी रूप में **'व्यावसायिक सहयोगी'** नही करेगा।

11.10 निकासी उपबंध : 'बिजनेस एसोसिएट्स' और कॉनकॉर इस समझौते से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र है और तीन महीने का नोटिस देकर इस समझौते की जिम्मेदारियों से निकल सकते है। , **'व्यापारिक सहयोगी'** पहले की अवधि के दौरान किए गए व्यवसाय में किए गए कार्यो के प्रति किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे। समझौते के समाप्ति से कॉनकॉर पर कोई वित्तीय देयता नही होगी।

11.11 'व्यापारिक सहयोगी' यदि व्यक्तिगत रूप से या अन्य प्राईवेट प्लेयर के साथ गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है या कोई कार्य जिससे कॉनकॉर के हित प्रभावित होतें हो तो कॉनकॉर इस समझौते का समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

11.12 कॉनकॉर को अवधि के दौरान बिजनेस एसोसिएट के समझौते में कोई भी संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

11.13 न्यायिक निर्णय : यह पॉलिसी भारत संध और भारत के न्यायालयों के कानूनों के अधीन संकल्पित और शासित होगी। निष्पादन ओर व्याख्या के कारण उत्पन्न किसी भी विवाद में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

12.0 आर्बिट्रेशन:

12.1 'बिजनेस एसोसिएट' और कॉनकॉर के बीच कोई भी विवाद आपसी विचार-विमर्श से या **निदेशक आंतरिक / कॉनकॉर** के माध्यम से सुलझाया जाना है। यदि ऐसा संभव नहीं है, तो, अनसुलझे विवाद या मतभेदों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 2015 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा और दोनो पक्षों को इसका फैसला बाध्यकारी होगा।

12.2 सुलह / मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान भी इस समझौते के तहत सेवाएं जारी रहेंगी जब तक यह यह साबित नहीं हो कि सेवाएं नहीं दी जा सकती।

13.0 अप्रत्याशित घटना : इस समझौते के नियम और शर्तों अप्रत्याशित घटना के अधीन होगीं। इसके अंतर्गत देरी, निष्पादन रोके जाने में कॉनकॉर या न ही बिजनेस एसोसिएट जिम्मेंदार नही होगा।

13.1 युद्ध या शत्रुता

13.2 दंगा या नागरिक हंगामा;

13.3 भूकंप, बाढ़, तूफान, बिजली या अन्य प्राकृतिक भौतिक आपदा जिससे रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, नौवहन सेवाओं या अन्य परिवहन के साधन के उपयोग की संभावना ना हो।

हड़ताल या तालाबंदी (सात लगातार दिन से अधिक) होने पर व्यापार सहयोगी या कॉनकॉर का निष्पादन प्रभावित होना।

13.4 इस खंड को लागू करने के लिए, प्रभावित पार्टी द्वारा अन्य पार्टी को सूचित करना अनिवार्य होगा।

14.0 व्यापार संघों की संख्या **:** निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले कितने ही **बिजनेस ' एसोसिएट्स'** किसी भी टर्मिनल पर कार्य कर सकते है। '**बिजनेस एसोसिएट्स** 'की नियुक्ति के लिए कोई उच्च सीमा नहीं होगी। व्यावसायिक एसोसिएट्स के पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ अनुमति पूरे साल दी जाएगी जिन्हे अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी महीने में माना जाएगा।

नोट: किसी भी जानकारी के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:

1) श्री ए वासुदेव राव, कार्यपालक निदेशक (आंतरिक और वाणिज्यिक)/ फोन: 41,673,128।

2) श्रीमती मीता बेहरा, वरिष्ठ प्रबंधक/आंतरिक/ फोन:41673090

अनुलग्नक -क

गोल्ड और प्लेटिनम श्रेणी के बिजनेस एसोसिएट हेतु कंपनी के लेटर हेड पर अंडरटेकिंग

जबकि पार्टी .... (बिजनेस एसोसिएट हेतु ईच्छुक)) ने कॉनकॉर को प्रस्तुतिकरण दिया है कि इनके **बिजनेस एसोसिएट के रूप में इसके** चयनित होने की दशा में ये अपने कंटेनर परिवहन का व्यवसाय कॉनकॉर से केवल संबधित सर्किट / मार्ग से करेगें और , रेल परिवहन के लिए अन्य पीसीटीओ के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या व्यक्तिगत रूप से या किसी सहयोगी संस्था के साथ संबद्ध नहीं होगें । इस प्रस्ताव के उल्लंघन के मामले में एक वर्ष के लिए बीए के जब्त के साथ समझौते को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

बिजनेस एसोसिएट हेतु **तारीख:**

हस्ताक्षर ....

प्राधिकृत प्रतिनिधियों का नाम ....

कंपनी की मोहर

बीए रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करते समय कंपनी के लैटर हैट पर दी जाने वाली जानकारी का नमूना ।

1. कंपनी का नाम:
2. पंजीकृत पता:
3. फोन नंबर:
4. फैक्स:
5. EMAIL
6. संप्रेषण पता:
7. संपर्क व्यक्ति का नाम:
(की हैसियत में)
8. मोबाइल नंबर
9.ईमेल: